



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-12082026-275387
CG-BR-E-12082026-275387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4267]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4267]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4445(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना बिहार राज्य के गया जिले में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के हिस्से के रूप में सोन नगर-अंडाल (374.53 मार्ग किमी) की मल्टी ट्रेकिंग इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने इसके निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त परियोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गया बिहार प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में वि०श रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरी डोर के निर्माण हेतु गया जिला के अंतर्गत की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जानेवाले भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना सं.	प्लॉट सं.	क्षेत्र (एकड़ में)	जमीन की प्रकृति
1	दुर्बे	177	601 / 1506	0.136	आंशिक
2			1174 / 1505	0.0976	आंशिक
3			600	0.577	आंशिक
4	कटारी	182	60	0.26	आंशिक
5	कुजापी	186	1842	0.125	आंशिक
			कुल रकबा	1.1956	

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना सं.	प्लॉट सं.	क्षेत्र (एकड़ में)	जमीन की प्रकृति
1	कुजापी	186	2701	0.18	आंशिक
2	कुजापी	186	2703	0.027	आंशिक
			कुल रकबा	0.207	

[फा.सं. ECR/CAO/Con/S/EDFC-Son nagar-Andal]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Patna, the 3rd August, 2026

S.O. 4445(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Multi tracking of Son nagar -Andal (374.53 RKm) as part of Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Gaya, Bihar State, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Land Acquisition Officer, Gaya, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as, the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or with our structure falling within the special Railway Project Namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gaya in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of Mauza	Thana no.	Plot No.	Area (in Acre)	Affected Plot
1	Durbe	177	601/1506	0.136	Part
2			1174/1505	0.0976	Part
3			600	0.577	Part
4	Katari	182	60	0.26	Part
5	Kujapi	186	1842	0.125	Part
Total				1.1956	

Sl. No.	Name of Mauza	Thana no.	Plot No.	Area (in Acre)	Affected Plot
1	Kujapi	186	2701	0.18	Part
2	Kujapi	186	2703	0.027	Part
Total				0.207	

[F. No. ECR/CAO/Con/S/EDFC-Son nagar-Andal]

RAJIV GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)